न्यूज लेटर

सेतु

centreforchildprotection.org

Centre for Child Protection (CCP)

A Unit of Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice

● अंक 2 ● नवम्बर 2015

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण को समर्पित

निदेशक की कलम से

मुझे प्रसन्नता है कि सेतु न्यूजलेटर के प्रथम संस्करण को सराहा गया है, तथा इसे बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हेतु आवश्यक समझ एवं संवेदनशीलता विकसित करने के दिशा में एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा जा रहा है।

प्राय: जानकारियों के अभाव में या फिर गलत जानकारी और अधूरे व्याख्यान के कारण कुछ भ्रामक धारणाएं व्याप्त हो जातीं हैं और महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करतीं हैं। बच्चों से संबंधित आपराधिक घटनाओं के संबंध में भी कुछ ऐसा ही हुआ है।

दिसम्बर, 2012 को दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना में, एक किशोर के संलिप्त होने की खबर तथा उसके किशोर होने के आधार पर कठोर सजा से बच जाना, जन आक्रोश का कारण बना। यह मुद्दा इतना उछाला गया कि प्रचलित किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) कानून, 2000 को निरस्त करने का मन बनाते हुए, नये किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक, 2014 को लाया गया जिसे 2015 में लोक सभा ने पारित कर दिया है। इस कानून मे बदलाव के अंतर्गत 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोर (जो की घृणित अपराधों मे संलिप्त पाये जाते है), उन्हे वयस्क की तरह माना जायेगा तथा वयस्क आपराधिक व्यवस्था के अन्तर्गत सजा दी जाऐगी।

कानून में यह बदलाव आने वाले समय मे न सिर्फ कई किशोरों के जीवन को प्रभावित करेगा वरण समाज के चित्त पर गहरी चोट भी करेगा। यह सांकेतिक है कि हम आज भी दण्ड को अपराध नियंत्रण करने का सबसे पर्याप्त मार्ग मानते है। दण्डात्मक प्रावधान किशोरों के आपराधिक एवं घृणित घटनाओं में संलिप्त होने के क्रम में कमी लाता है या नहीं यह तो समय ही बतायेगा, परन्तु मैं वों आंकडे.आपसे साझा करना चाहूँगा जो इसके विपरीत वस्तुस्थिति को दर्शाते है।

सरकारी(National Crime Record Bureau)आंकड़े के मुताबिक देश मे पिछले 10 वर्षो में कुल अपराध की तुलना में बाल अपराध में केवल 0.1 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हुई। देश में जहां वर्ष 2013 में कुल 26,47,722 अपराध हुए थे, उनमें किशोरों द्वारा किये गये अपराधों की संख्या केवल 31,725 है, जिनमें में भी 80 फीसदी अपराध छोटे अपराधों की श्रेणी में आते है। अत: जरूरी है कि जब हम बच्चों से सम्बन्धित निर्णय लें तो वो तथ्य आधारित हो तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित में हो।

धन्यवाद

भूपेन्द्र सिंह आई.पी.एस.

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन , सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने मनाया स्वतंत्रता दिवस

गत 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के निदेशक, श्री भूपेन्द्र सिंह ने झंडा रोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर सेन्टर के सभी साथीगण उपस्थित थे। श्री सिंह ने सेन्टर के कार्य को देश की प्रगति से जोडते हुए सभी साथियों को पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ बच्चों के हित में कार्य करने लिये प्रेरित किया।

''बाल उत्पीड़न से अधिक कोई और सामाजिक समस्या नहीं।
बाल अधिकारों से अधिक अवहेलना किसी और मानव अधिकार की नहीं होती।''
–मारिया मोन्टेसरी

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने की बाल संरक्षण पाठ्यक्रम की शुरूआत

बाल अधिकार, विशेषकर बाल सुरक्षा से संबंधित अनेक कम एवं अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रम विकसित एवं संचालित करना सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। उद्देश्यों की दिशा में प्रगति करते हुए सेन्टर द्वारा बाल संरक्षण एवं सुरक्षा के विषय पर दो पाठ्यक्रम विकसित किये गये है।

पाठ्यक्रम को विकसित एवं अनुमोदित करने की प्रक्रिया हेतु, 04 सितम्बर, 2015 को सेंटर द्वारा गठित बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य एवं प्रदेश के वरिष्ठ शिक्षाविद्, प्रोफेसर राजीव गुप्ता, प्रोफेसर निशा यादव एवं प्रोफेसर मंजू सिंह ने भागीदारी की।

सेन्टर द्वारा विकसित सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषयवस्तु पर गहन चर्चा की गई तथा बोर्ड ऑफ स्टडीज की संस्तुति को शामिल करते हुए इसके अनुमोदन हेतु 08 सितम्बर, 2015 को सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक परिषद (Academic Council) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शैक्षिक परिषद द्वारा पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया। तथा इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अगले साल से प्रवेश दिया जायेगा।

कोर्स के उद्देश्य :
- बाल संरक्षण के विषय पर समझ एवं दक्षता बढ़ाना।
- बाल सुरक्षा के सिद्धांतों एवं अनुप्रयोग पर समझ विकसित करना।
- बच्चों से जुडे कानून को जानना।

1. सर्टिफिकेट कोर्स इन चाइल्ड प्रोटेक्शन (Certificate Course in Child Protection)

पात्रता :
कम से कम बारहवीं उत्तीर्ण तथा बच्चों के क्षेत्र में काम करने का अनुभव।

अवधि :
3 माह (180 घण्टें का अध्यापन समय / कालांश)।

पाठ्यक्रम का स्वरूप :
इस पाठ्यक्रम को पाँच इकाई में वर्गीकृत किया गया है
1. बाल सुरक्षा – एक परिचय।
2. बाल एवं मानव अधिकार।
3. बच्चों के साथ काम।
4. कानूनी व्यवस्था एवं बच्चे।
5. व्यवहारिक कार्य।

2. डिप्लोमा कोर्स इन चाइल्ड प्रोटेक्शन (Diploma Course in Child Protection)

पात्रता :
बारहवीं उत्तीर्ण अथवा बच्चों के साथ कार्य का अनुभव।

अवधि :
6 माह (300 घण्टें का अध्यापन समय / कालांश)।

पाठ्यक्रम का स्वरूप :
इस पाठ्यक्रम को सात इकाई में वर्गीकृत किया गया है
1. बाल सुरक्षा – एक परिचय
2. बाल सुरक्षा एवं पुलिस
3. बाल सुरक्षा से जुडी नितियाँ एवं कानून
4. गैर सरकारी सामाजिक पैरवी एवं नेटवर्किंग संस्था
5. शोध पद्धति
6. परियोजना लेखन
7. व्यवहारिक कार्य

प्रवेश एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाईट www.centreforchildprotection.org का अवलोकन करें।

अध्ययन का मूल्यांकन (दोनों कोर्सों हेतु)
- स्व आंकलन गतिविधियाँ
- विषय अनुकूल कार्य की पूर्ति
- परीक्षा– कोर्स के अन्त में 70 अंको का परीक्षा
- व्यवहारिक कार्य– 30 अंको की परीक्षा
- कोर्स अवधि के अंत में छात्र/छात्राओं को सर्टिफिकेट दीये जायेंगे। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

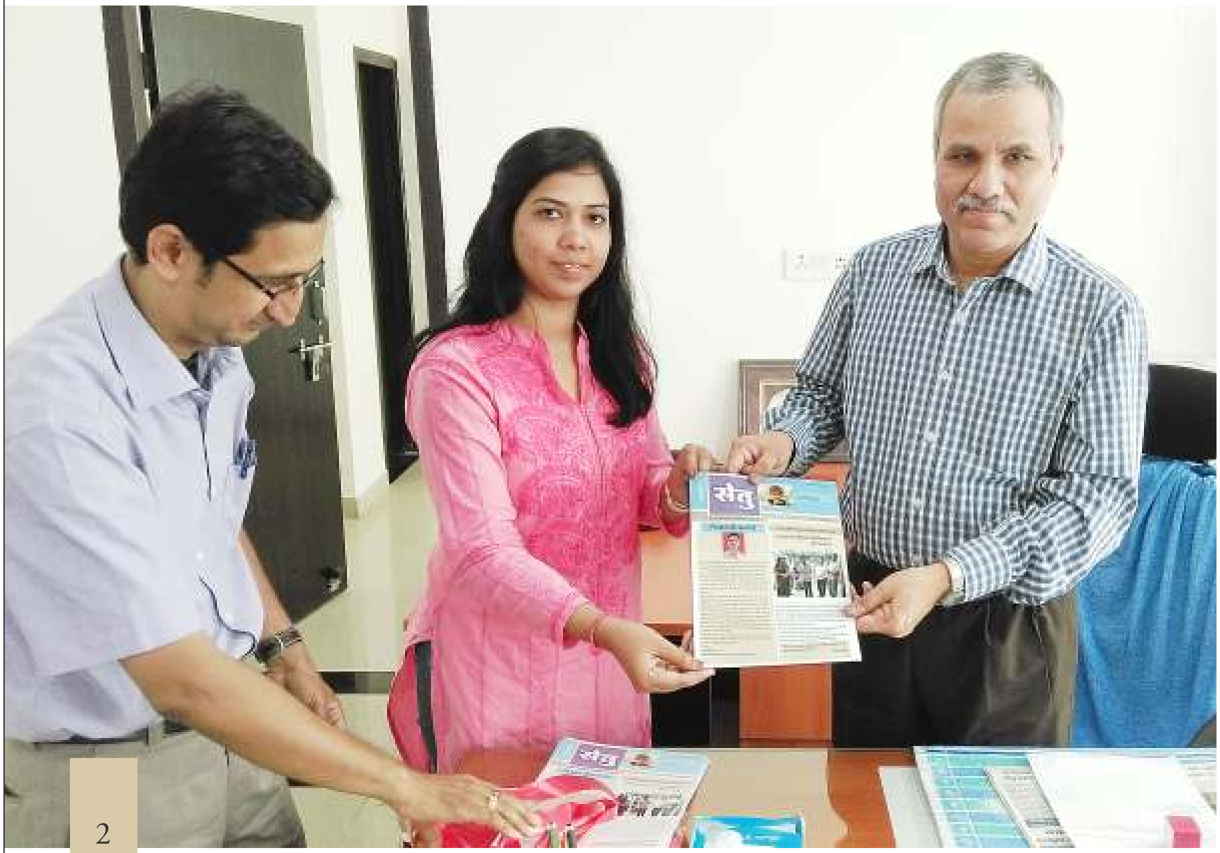

दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नागरिक अधिकार) उमेश मिश्रा द्वारा सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन के न्यूज लेटर सेतु के प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया।

सेफ स्कूल कार्यक्रम की शुरूआत

30 सितम्बर, 2015 को डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक, श्री अनिल कुमार जैन एवं यूनिसेफ के बाल संरक्षण अधिकारी, श्री संजय कुमार निराला द्वारा सेफ स्कूल कार्यक्रम के तहत् 340 प्रद्यानाध्यापकों का आमुखीकरण किया गया।

डूंगरपुर पुलिस एवं यूनिसेफ के सयुंक्त तत्वाधान में डूंगरपुर के सभी 331 सेकण्डरी एवं सीनियर सेकण्डरी स्कूलों को लेकर सेफ (सुरक्षित) स्कूल कार्यक्रम की शुरूआत की गई है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य, बच्चों के लिए स्कूल के अंदर एवं स्कूल के बाहर सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के तहत् प्रत्येक स्कूल की जिम्मेदारी एक बीट अधिकारी को दी गई है।

बीट अधिकारी को स्कूल शिक्षक एवं समुदाय के साथ मिलकर ऐसे सभी बच्चों को चिन्हित करना है जो स्कूल में पढाई में कमजोर है, या स्कूल से बाहर है, या उपद्रवी प्रवृति के है, या जरूरत से ज्यादा शरारती है या जिन्हें विशेष देखरेख की आवश्यकता है। बच्चों के माता–पिता, समुदाय एवं शिक्षक के साथ मिलकर इन्हे सकारात्मक अनुशासन पद्धति (Positive Disciplining) के द्वारा पुन: मुख्य धारा से जोडने के प्रयास किए जाएगें।

सेफ स्कूल कार्यक्रम के मुख्य दो घटक है :

स्कूल में	स्कूल के बाहर
बाल निगरानी समिति का गठन : समिति के अध्यक्ष बीट अधिकारी एवं स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे। **समिति के मुख्य कार्य :**	
• स्कूल में बाल अधिकार, बाल संरक्षण एवं इससे जुड़े अन्य कानून पर जागरूकता करना। • ऐसे बच्चों को चिन्हित करना जिनकी मुख्य धारा से हटने की संभावना है। • स्कूल में शोषण। • दुर्व्यवहार पर रोक लगाना। • स्कूल में बाल अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। • स्कूल की बाल सुरक्षा नीति का निर्माण कर उसे लागू करना। • स्कूल के अन्दर मारपीट एवं भेदभाव को रोकना तथा उनकी जॉच करना।	• गाँव से स्कूल के बीच के रास्ते की सुरक्षा का आंकलन करना की रास्ते में कोई ऐसी जगह तो नही है जहॉं बच्चों को किसी प्रकार का खतरा हो। • गॉंव में ऐसे लोगों की पहचान करना, जिससे बच्चों को किसी हिंसा एवं अन्य प्रकार का खतरा हो। • ग्राम सभा एवं अन्य अवसर पर गाम्रवासियों के साथ बैठक कर उन्हे जागरूक करना की बच्चों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। • गॉंव से पलायन करने वाले बचे, बाल श्रमिक एवं बाल विवाह करने वाले बचे को चिन्हित कर उनके माता पिता के साथ समझाइश करना एवं ऐसे बचों को सुरक्षा प्रदान करना।

यह कार्यक्रम अपने आप में बाल मैत्री पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत एक अनूठा प्रयास है।

श्री एम एल कुमावत को दी भावभीनी विदाई

सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एम.एल. कुमावत के कार्याकल की समाप्ति के अवसर पर सभी ने भाव विभोर होकर उन्हें विदाई दी।

श्री कुमावत के कार्यकाल के समाप्ति के उपरान्त् श्री भूपेन्द्र सिंह जो वर्तमान में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति एवं सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के निदेशक है, को विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार दे दिया गया है।

आई पी एस अधिकारी के. बी. वन्दना ने किया सेंटर का भ्रमण

30 सितम्बर 2015 को श्रीमती के. बी. वन्दना (IPS), अपर निदेशक, सेंटर फॉर सोशल डिफेन्स एवं जेंडर स्टडीज, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन की गतिविधियों का अवलोकल किया। इस दौरान बच्चों एवं महिलाओं से जुडे कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी।

'अलख' बाल सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत

सेन्टर द्वारा जयपुर के स्कूलों एवं कॉलेजों में 'अलख जागरूकता कार्यक्रम' का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम के तहत् बाल अधिकार एवं बाल सुरक्षा के सन्दर्भ में जागरूक करने हेतु लगभग 1000 बच्चों से सीधे तौर पर जुड़ा जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन डॉ. भीमराव अम्बेडकर पब्लिक स्कूल में 3 अक्टूबर, 2015 को किया गया। इस अवसर पर सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के स्टाफ ने आठवी से बाहरवी कक्षा तक के 63 छात्रों को बाल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। साथ ही विद्यालय में एक पेंटिग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। बच्चों ने इस प्रतियोगिता में बाल अधिकार एवं बच्चों की पुलिस के बारे में सोच एवं छवि के विषय पर पेंटिग भी की।

बाल पीड़िता एवं पीड़िता प्रतिकार योजना पर संगोष्ठी

16 अगस्त, 2015 को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के सहयोग से श्री अनीष अंबवानी, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में 300 से ज्यादा जजों एवं विधिक कार्य से जुड़े लोगों हेतु एक दिवसीय समीक्षा एवं आमुखिकरण गोष्ठी का आयोजन जयपुर में दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र के सभागार में किया गया। समीक्षा संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में माननीय न्यायाधिपति, श्री अजित सिंह, श्री अजय रस्तोगी एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सदस्य श्री सतीष कुमार शर्मा द्वारा पीड़ित प्रतिकार योजना के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं एवं उनके समाधान पर चर्चा की गई। इसी दौरान संबंधित नियमों का सरल भाषा में प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

बाल पीड़िता के परिवार को शीघ्र अंतरिम सहायता एवं न्याय के साथ ही पीड़िता प्रतिकार योजना से मिलने वाले लाभ को दिलवाने की कटिबद्धता पर जोर दिया गया। पुलिस विभाग से भी अपेक्षा की गई कि इस योजना के लाभ दिलवाने में सहयोग करे एवं पीड़िता का नाम कोर्ट में प्रस्तावित करें। अभी तक इस योजना से लगभग 400 पीड़िता को ही लाभ मिल पाया है, जबकि राज्य में प्रतिवर्ष 5000 से ज्यादा लैंगिक हिंसा से पीड़ित महिला एवं बच्चों के प्रकरण पंजीकृत होते है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री अनिष अंबवानी ने पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं के प्रकरणों को प्राथमिकता एवं संवेदनशीलता के साथ लेकर फैसला सुनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पीड़ित प्रतिकार योजना सामाजिक न्याय एवं समता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

बाल सुरक्षा पर पुलिस प्रशिक्षण

पुलिसकर्मियों को बच्चों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने हेतु टोंक जिले के सभी पुलिस सर्किल में बाल सुरक्षा एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत् अब तक टोंक जिले के 400 कानिस्टेबलों को बाल सुरक्षा के विषय पर प्रशिक्षित किया जा चुका हैं।

विशेष किशोर पुलिस इकाई – एक समीक्षा

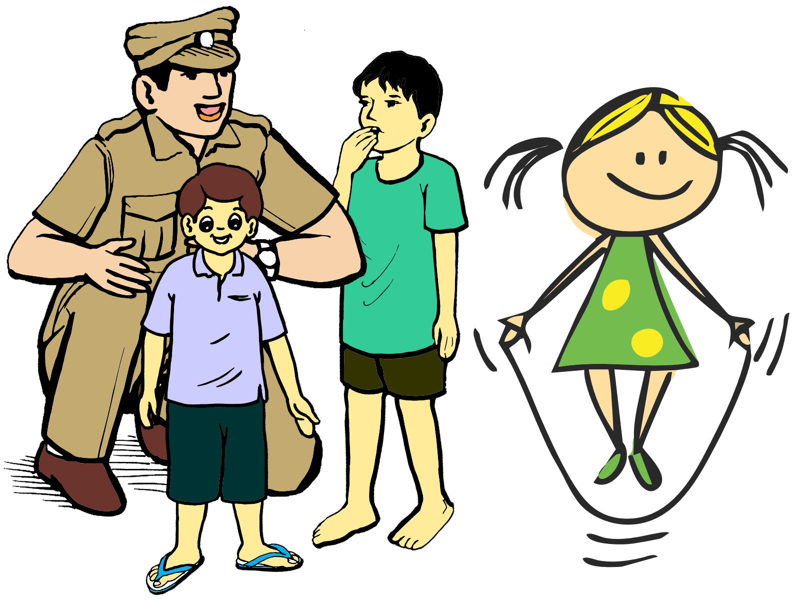

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) कानून 2000 की धारा 63 (2) में प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) के गठन का प्रावधान किया गया है। एस.जे.पी.यू की अवधारणा किशोर न्याय अधिनियम में एक प्रगतिशील प्रारंभ है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के 1985 के बीजींग रूल (UN Beijing Rule 1985) में कल्पना की गई बाल अनुकूल पुलिस व्यवस्था के अनुकूल है। किशोर न्याय अधिनियम के धारा 63 (2) मे यह बात स्पष्ट की गई है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा एक प्रशिक्षित एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाये, जो कि बच्चों से संबंधित प्रकरणों में पुलिस और बच्चों के बीच की कड़ी बनें।

राजस्थान किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 की धारा 83 (1) में नियम के लागू होने के चार माह के अन्दर ही हर जिले में एस.जे.पी.यू के गठन का प्रावधान है। जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर की रैंक की व्यक्ति को बाल कल्याण अधिकारी तथा दो समाजिक कार्यकर्ताओं का होना आवश्यक हैं। समाजिक कार्यकर्ता का बच्चों के साथ कार्य के अनुभव को अनिवार्य माना गया तथा इनमें एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एस.जे.पी.यू के गठन हेतु दिशा निर्देश 20 सितम्बर, 2005 को जारी किये गये है। परन्तु प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में एस.जे.पी.यू में 40 बाल कल्याण अधिकारी और 79 सामाजिक कार्यकर्ता कार्यरत है।

पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को एस.जे.पी.यू. के सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए है। तथा गृह विभाग, राजस्थान द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2013 को जारी की गई मार्ग–निर्देशिका में POCSO (लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण) अधिनियम, 2012 के संदर्भ में एस.जे.पी.यू. की भूमिका स्पष्ट की गई है।

सरकारी सूत्रो (राजस्थान पुलिस अकादमी के रिकार्ड) के अनुसार पिछले 5 वर्षो में बालकों के मुद्दों पर 59 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जा चुके है, जिसमें 1700 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया हैं। कई इकाईयों में समन्वय स्थापित कर जानने की कोशिश की गई कि इकाईयों के सुचारू कार्य करने में क्या अड़चने है तथा उन्हें दूर करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते है।

कई जगह इकाईयों का गठन केवल कागजी तौर पर है। व्यवहारिक तौर पर कई जगह पर पुलिस कर्मियों के पास इकाई अतिरिक्त कार्यभार है। इनके गठन एवं कार्यो का कोई निरीक्षण नहीं किया जाता है। यह भी पाया गया की 79 समाजिक कार्यकर्ताओं की सूची में 22 लोग सरकारी कर्मचारी है, अन्य कई सिर्फ कागजों में मनोनीत है। इस कारण से अधिनियम के प्रावधानों के तहत् कल्पना की गई इकाई वास्तविक रूप से लुप्त है।

ज्यादातर पुलिस थानों में कहीं भी इकाई के सदस्यों के नाम प्रदर्शित नहीं है। सामान्य रेलवे पुलिस (GRP) तथा रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) द्वारा अधिसूचित एस.जे.पी.यू. से संबंधित कही आंकड़े नही मिल पाये। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के नियमित तबादले तथा मनोनीत सदस्यों के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों के अभाव जैसे कारणों से भी इकाई सुचारू रूप में कार्य नही कर पा रही है।

यह तथ्य भी सामने आयें है कि एस.जे.पी.यू. के सुचारू कार्य संचालन में संसाधनों का अभाव है। इकाई के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं है, न ही क्षमतावर्धन कार्यक्रमों आयोजित किए जाते है। ज्यादातर पुलिस थानों में भी भौतिक सुविधाओं की कमी हैं और इकाई अथवा बच्चों के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। इकाई के सदस्यों में भी अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्टता नहीं हैं। विशेष कर इकाई में नियुक्त समाजिक कार्यकर्ताओं में भी अनुभव, समझ और बच्चों के प्रति सर्वेदनशीलता का अभाव है।

एस.जे.पी.यू. जो की पुलिस और बच्चों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसका सक्रिय एवं सुचारू रूप से कार्य करना कई बच्चों के जीवन में साकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। कुछ छोटे प्रयास आज की स्थिति में परिवर्तन ला सकती है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है।

1. विशेष किशोर पुलिस इकाई में नियुक्त पुलिस कर्मचारियों के तबादले इकाईयों में ही किया जाना सुनिश्चित हो।
2. नियमित प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, कार्यक्रम के लिए बजट एवं जिम्मेवारी सुनिश्चित हो।
3. उचित संसाधन आवंटन एवं हर पुलिस जिले में उपयुक्त भौतिक सुविधाएँ।
4. सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति तय मानकों के अनुसार।
5. इकाई के कार्यो का नियमित निरीक्षण अनुश्रवण एवं फालो–अप।
6. इकाई द्वारा बच्चों पर कार्य कर रहे अन्य विभाग, कमेटी एवं सदस्यों में समन्वय स्थापित करना।

प्रश्न

1. **क्या सजा बच्चों के अपराध / बच्चों के प्रति अपराध रोकने का सबसे कारगर उपाय है ?**
2. **क्या छोटी आपराधिक घटनाओं के मामलों में बच्चे के माता–पिता, रिश्तेदार को संलिप्त करना आवश्यक नहीं है ?**
3. **क्या बच्चे का परिचय एवं उससे सम्बन्धित जानकारियों का खुलासा करने में कोई हानि नही है ?**

सस्टेनेबल विकास लक्ष्य (SDG)

25 सितम्बर, 2015, संयुक्त राष्ट्र की समिट, न्यूर्योक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (Millenium Development Goal, MDG) के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal, SDG) को अंकित कर लिया है। जहाँ सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य में 8 उद्देश्यों को रखा गया था, वहीं सस्टेनेबल विकास गोल के अन्तर्गत 17 उद्देश्यों को रखा गया है। जहां सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य में बच्चों को मृत्यु दर कम करने एवं उनके विकास पर जोर दिया गया, वहीं सस्टेनेबल विकास गोल में बच्चों के विरूद्ध होने वाली हिंसा को रोकना, विश्व स्तरीय लक्ष्य के रूप में देखा गया है। इसके तहत् बच्चों के विरूद्व हो रहे किसी भी प्रकार के लिंग, जाति, धर्म, समूह, विकलांगता आधारित भेदभाव और हिंसा का अंत 2030 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत पूरी दुनिया के सभी देशो का एकजुट होने एवं अपने–अपने देश की संस्थागत ढाँचा को मजबूत करने की बात कही गई है।

> **आप जैसे विचार करेंगे वैसे आप हो जाएंगे**
> **अगर अपने आपको निर्बल मानेंगे तो**
> **आप निर्बल बन जाएंगे।**
> **और यदि जो आप अपने आपको**
> **समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे।**
>
> **- स्वामी विवेकानन्द**

बाल संरक्षण : एक सामूहिक जिम्मेदारी

प्रति दिन समाचार पत्रों में बच्चे पर एवं बच्चों के साथ होने वाली हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार की खबरे प्रकाशित होती है। हिंसा, मार–पीट एवं दुर्व्यवहार हमारे समाज का अभिन्न अंग बन गए है। यूनिसेफ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2007 में करवाये गये अध्ययन में 50 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों ने एक से अधिक बार हिंसा के शिकार होने की बात को स्वीकार किया है। इस व्यापकता के बावजूद भी हमारे पास कोई ठोस उपाय नही , जिससे बच्चों के उपर होने वाली हिंसा को तुरन्त खत्म किया जा सके। बाल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अर्न्तविभागीय एवं बहु–आयामी समन्वय की आवश्यकता है। बाल संरक्षण माता–पिता, परिवार, समाज, पंचायत, सरकार एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं सहित हम सभी की जिम्मेदारी है।

यूनिसेफ ने दुनिया भर में बच्चों के साथ हो रही हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों को अध्ययन करने के बाद छ: मुख्य महत्वपूर्ण बिन्दु चिह्नित किये हैं : जिनके द्वारा बच्चों पर होने वाली हिंसा को समाप्त किया जा सकता है :

1. अभिभावक, देखरेख करने वाले एवं परिवारों को जागरूक करना एवं बाल संरक्षण के महत्व को बताना।
2. जोखिम एवं देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं किशोरों की सहायता करना।
3. प्रवृति, सोच, सामाजिक नीति, नियम एवं विचार धारा में परिवर्तन लाना।
4. बच्चों के सहायतार्थ कार्यक्रम एवं योजनाऐं संचालित करना।
5. बच्चों से संबंधित नीति, कानून एवं योजना का निर्माण एवं उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना।
6. बच्चों से जुड़े आंकड़ों का संकलन एवं शोध करना एवं उसका उपयोग बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में करना।

उक्त प्रयासों से निश्चित ही बच्चों पर होने वाली हिंसा को रोका जा सकता है।

केस स्टडी

बाल मजदूरी या बंधुआ मजदूरी

बाल श्रम बच्चों के विकास में एक घातक अवरोध माना जाता है तथा इसे समाप्त करने के लिए देश भर में अनेकों प्रयास किये जा रहे है, इसके बावजूद भी देश में अनुमानित 20 फीसदी बच्चे किसी ना किसी रूप में इसका शिकार हो रहे हैं।

राज्य में अनेक बच्चें कई प्रकार के खतरे वाले कार्यो सहित अन्य कार्यो में कार्यरत हैं। जन गणना 2011 के अनुसार बाल श्रम के मापदण्ड पर राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है।

बाल श्रम के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें से बंधुआ मजदूरी एक प्रचलित स्वरूप है। आज भी बाल श्रम की आड में बंधुआ मजदूरी हो रही है। अशरफ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ग्यारह वर्षीय अशरफ को जब अपने घर (गया, बिहार) से जयपुर लाया गया था, तब वो खुश था कि वो अपने परिवार में आर्थिक सहयोग कर अपनी बीमार मॉं का इलाज करवा पाएगा। नियोक्ता ने उसके पिता को एक मुस्त 10000 रूपये दिए थे और 1500 रूपये मासिक देने की बात कहीं थी।

अशरफ यहां चूड़ी कारखाने में कड़ी मेहनत करने लगा। सुबह से देर रात तक काम किया मूल सुविधाओं के नाम पर जो मिला उसी में संतोष किया। मालिक ने एक बार इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी गर्दन में गहरी चोट लगी, जिससे उसकी गर्दन टेढी हो गई। इसके बावजूद भी मालिक ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई।

मौका मिलते ही अशरफ नियोक्ता के कैप से भाग निकला। कुछ समय पश्चात रेलवे पुलिस ने उसे अजमेर रेल्वे स्टेशन पर को गंभीर अवस्था में पाया तो अजमेर में कार्यरत खिलती कलियां संस्था से संपर्क कर अशरफ को उन्हें सौप दिया। संस्था ने बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया तो समिति ने बच्चे की नाजुक हालत देखते हुए उसे जयपुर रैफर कर दिया। अशरफ को गंभीर अवस्था में अजमेर से लाया गया। बाल कल्याण समिति, जयपुर ने बच्चे के संदर्भ में स्नेह आंगन (वन स्टॉप क्राईसिस मैनेजमेन्ट सेंटर) से सहायता मांगी। और अशरफ को टाबर संस्था द्वारा संचालित 'बाल बसेरा' बाल गृह में रखवाया गया।

अशरफ को निजी हॉस्पिटल ले गये तो डॉक्टर ने केस को गंभीर बताते हुए कहा कि तुरन्त ऑपरेशन करना पडेगा, नहीं तो बच्चे को लकवा होने का खतरा है। पुन: डाक्टरी सलाह के इरादे से बच्चे को न्यूरोसर्जन को दिखाने का निर्णय लिया गया। न्यूरोसर्जन डॉक्टर वी. डी. सिन्हा ने बच्चों को देखा और केस की संवेदनशीलता से लेते हुए बालक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने व एम.आर.आई. जॉंच करवाने की सलाह दी। बच्चे को भर्ती करवाने से पहले उसके परिजनों की सहमति आवश्यक थी। इसके लिए पिता से सम्पर्क कर उन्हें बालक की बीमारी की खबर देते हुए जयपुर बुलाया गया।

दिनांक 17.10.2015 को अशरफ के पिताजी बिहार से जयपुर आ गये। अशरफ के पिताजी से बातचीत करने पर पता चला कि नियोक्ता द्वारा बच्चे को या परिवार को कोई पैसा नहीं दिया गया। अशरफ को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के न्यूरोसर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया। स्नेह आंगन के कार्यकर्ता ने बालक के उपचार हेतु एम.आर.आई व सीटी.स्केन जॉंच डॉक्टर वी.डी.सिन्हा की सहायता से सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक की अनुमति लेकर नि:शुल्क करवायी।

जांच के पश्चात डॉक्टर वी.डी.सिन्हा ने अशरफ को कुछ दिन अपने निरक्षण में रखने के बाद ऑपरेशन की अवश्यकता पर निर्णय लेने की बात कही। दिनांक 26.10.2015 तक अशरफ को डॉक्टर के निरीक्षण में रखने के पश्चात् डॉक्टर ने बताया कि उसे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। अशरफ दवाओं व देखभाल से ही ठीक हो जायेगा।

तबीयत में सुधार पर डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर 1 महीने की दवा दी तथा 1 महीने पश्चात् पुन: जांच हेतु बुलाया। स्नेह आंगन सेंटर के कार्यकर्ता ने बालक के पिता को आवश्यक दस्तावेज के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर अशरफ को पिता को सुपुर्द करवा दिया। सेंटर ने अशरफ के पिता को समझाकर नियोक्ता के खिलाफ केस दर्ज कराने की सहमति ली। स्नेह आंगन सेंटर के द्वारा बालक व पिता को सकुशल उनके घर भेज दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर लाड़ली सम्मान अभियान का आगाज

11 अक्टूबर, 2015 को दिल्ली रोड़, जयपुर स्थित रोशन हवेली में 600 से ज्यादा किशोरियों के साथ बाल अधिकारिता विभाग, यूनिसेफ एवं पी.सी.सी.आर.यू. संस्था के तत्वाधान में लाड़ली सम्मान अभियान का आयोजन किया गया।

लाड़ली सम्मान अभियान गत वर्ष अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शुभारम्भ किया गया था। इस अभियान के तहत् अब तक राजस्थान के बाल विवाह से अधिकतम प्रभावित जिले, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, एवं जयपुर के 240 ग्राम पंचायतों के 1000 से ज्यादा गांवों में बाल विवाह के विरूद्ध जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके है। 40 सदस्यों के दल (टीम) द्वारा चार सुसज्जित वाहनों में ऑडियों–विडियों एवं पोस्टर/पंपलेट के माध्यम से यह अभियान 8,00,000 से ज्यादा लोगों तक पहुँचा है। इस अभियान के तहत् राजस्थान की 100 से अधिक ऐसी लड़कियों को चिन्हित कर सम्मानित किया जा चुका है, जिन्होने बाल विवाह, बाल श्रम, बाल हिंसा एवं बाल पलायन के विरूद्ध आवाज उठाई एवं अपनी पढ़ाई (शिक्षा) को जारी रखा है।

सवाई माधोपुर भास्कर

बाल विवाह पर रोकथाम के लिए लाडली अभियान शुरू

बाल अनुकूल पुलिस व्यवस्था के लिए आवश्यक परिपेक्ष्य

पारम्परिक व्यवस्था	बाल मैत्री व्यवस्था
सामान्य पुलिस	विशेषीकृत पुलिस जो बचो के मुद्दे पर जागरूक व प्रशिक्षित हों।
असंवेदनशील पुलिस	सामाजिक रूझान वाली संवेदनशील पुलिस
पक्षपाती व्यवहार	भेदभाव रहित व्यवहार, बचों के धर्म जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर पक्षपात नही करना
बचों को अभियुक्त की तरह देखना	उत्तरजीविता के लिए प्रयासरत बचों के व्यवहार को सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखना
असुरक्षित बचों पर लक्ष्य साधना	असुरक्षित बचो के प्रति संवेदनशील
क्रूर गिरफतारी	गरिमापूर्ण तरिके से बचो को संरक्षण मे लेना
खराब प्रलेखन एवं अभिलेखन	सुचारू प्रलेखन एवं अभिलेखन
हतोत्साहित पारिवारिक सहभागिता	परिवार का सहयोग एवं सहभाग
कठोरता से पूछताछ	बाल अनुकूल पूछताछ
प्रभावहीन कानूनी मदद	तत्काल सक्षम कानूनी मदद
हिंसात्मक अनुशासन	सकारात्मक, अहिंसात्मक संवाद

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार एवंअन्य लोगों, संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासो से अवगत कराना है। इस न्यूज लेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।
email: childprotection.spup@gmail.com

न्यज लेटर लेखन एवं सम्पादन : अन्ताक्षरी फाऊण्डेशन

संम्पादकीय टीम :
डॉ. भूपेन्द्र सिंह, संजय निराला, गोविन्द बेनीवाल, शिव सिंह नायल, डॉ. निशान्त कुमार ओझा, प्रवीण सिंह, कल्याणी शर्मा

विचार के तथ्य :

1. **अनुसंधान एवं अनुभव बतातें हैं कि सजा अकसर बच्चों की आपराधिक प्रवृति को बढ़ाती है और एसे बच्चे दोबारा आपराधिक मामलों में सम्मिलित पाए जाते हैं**
2. **किसी भी स्थिति में बच्चों के माता–पिता, रिश्तेदारों को सूचित एवं सम्मिलित करना बच्चे का मुख्य धारा से जोड़ने एवं शोषण से बचाने में सहायक है।**
3. **किसी भी स्थिति में बच्चों से सम्बिन्धित जानकारियों का खुलासा कानूनन अपराध है।**

Centre for Child Protection (CCP)
S-7, Mhoan Nagar, Near Riddhi Siddhi, Gopalpura Bypass, Japur Rajasthan (India) 302018, Ph. : 0141-2974848

Designed by : **Apex Advertising, Jaipur**